

कार्यकारी सार

राष्ट्रीय जल नीति सभी नागरिकों के लिए पीने योग्य पानी की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता और इसके उचित मूल्य निर्धारण, उचित सीवरेज सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति, भूजल और वर्षा जल के संयोजन के साथ सतही जल से जल आपूर्ति प्रदान करने के प्रयासों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देती है। इनके अतिरिक्त, यह सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के अंतर्गत भूजल के प्रबंधन, लीकेज एवं चोरी को दर्शाने वाले जल खातों एवं जल लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रकाशित करने, कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं और वर्षा जल संचयन पर भी जोर देती है।

हरियाणा में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति को विभिन्न केंद्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं यथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अब जल जीवन मिशन), संवर्द्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना ग्रामीण जल आपूर्ति, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (एमजीजीबीवाई), अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), शहरी जल आपूर्ति राज्य योजना और शहरी एनसीआर (जल आपूर्ति) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

हरियाणा राज्य में, ग्रामीण जल आपूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, जो 1.65 करोड़ ग्रामीण आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) की जल आपूर्ति आवश्यकता को पूरा करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के मानदंड जल जीवन मिशन (केंद्र प्रायोजित योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-डेजर्ट क्षेत्रों के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और डेजर्ट क्षेत्रों/नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार तैयार किए गए हैं। जुलाई 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी वाली 1,737 बस्तियां (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानदंड से नीचे) थीं। शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति का रखरखाव एवं कार्यान्वयन तीन विभागों अर्थात् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की शहरी जनसंख्या 0.89 करोड़ है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल, 1999 के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जल प्रदानगी को ध्यान में रखते हुए अगले 30 वर्षों के लिए संभावित जनसंख्या के आधार पर शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति की कुल आवश्यकता का आकलन करते हैं। मार्च 2021 तक, 89 शहरों में से नौ शहरों में पानी की कमी (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानदंड से नीचे) थी।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 2016-21 की अवधि के लिए हरियाणा में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या (i) मानकों के अनुसार ग्रामीण और शहरी आबादी को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की आवश्यकता और उपलब्धता के आकलन के आधार पर राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप उचित

नीतियां/योजनाएं तैयार की गई थी; (ii) वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था और निधियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की गई थी तथा योजनाओं को निर्धारित समय एवं लागत के भीतर निष्पादित एवं कार्यान्वित किया गया था; (iii) जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया था और पर्यावरणीय मुद्दों का उपयुक्त रूप से समाधान किया गया था; (iv) निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव प्रभावी थे; और (v) जल आपूर्ति की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं निगरानी के लिए तंत्र, पर्याप्त और प्रभावी था।

2016-21 की अवधि के लिए हरियाणा में ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। 22 जिलों में से आठ जिलों में फील्ड स्टडी की गई। फील्ड स्टडी के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 36 कार्यालयों में लेखापरीक्षा की गई थी। इस लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, विभाग के पास उपलब्ध जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के डंप डेटा का विस्तार से विश्लेषण किया गया था। आगे, कवरेज को सत्यापित करने के लिए चयनित जिलों के गांवों में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना बस्तियों में सर्वेक्षण किया गया था। इसके अलावा, इन जिलों में कुछ स्थानों का चयन निम्नलिखित के मूल्यांकन के लिए किया गया था: (i) एक महीने के लिए फ्लो मीटर और सब-मीटर की स्थापना द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पानी की मात्रा, (ii) विभागीय प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से नमूने एकत्रित करके निजी रूप से किराए पर ली गई प्रयोगशाला (तृतीय पक्ष) के साथ-साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, करनाल में राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला को भेजकर पानी की गुणवत्ता। (iii) चयनित स्थानों में लाभार्थी सर्वेक्षण कराकर जल की मात्रा एवं गुणवत्ता।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों पर हरियाणा में अधिसूचित (मार्च और जून 2012) राज्य ग्रामीण और शहरी जल नीतियां राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप संशोधित नहीं की गई थीं।

राज्य की मौजूदा जल नीतियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को फ्लैट दरों के बजाय पानी की मात्रा की खपत के आधार पर बिल देना है, जिसे प्राप्त नहीं किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिलिंग फ्लैट दर से की गई थी और मीटर वाले कनेक्शन नहीं दिए गए थे।

भविष्य की योजना के लिए कोई समेकित कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। मंडलीय कार्यालय जिले के लिए एक समेकित योजना के बजाय बसावटवार अनुमान तैयार करने की प्रथा का पालन कर रहे थे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 39 प्रतिशत (नमूना-जांच किए गए 44 गांवों में से 17 गांव) गांवों में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जैसा कि भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आकलन किया गया था।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) योजना तैयार करने की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और स्थानीय समुदायों की भागीदारी संतोषजनक नहीं पाई गई।

वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत बचत देखी गई थी। योजनाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में विभागीय प्रयासों का अभाव था। राजस्व संग्रह, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल रखरखाव व्यय का केवल एक प्रतिशत था और शहरी क्षेत्रों के मामले में, यह 2016-21 की अवधि के लिए रखरखाव व्यय का कुल 15 प्रतिशत था। नमूना-जांच किए गए विभागों/मंडलों में मार्च 2021 तक उपभोक्ताओं से ₹ 278.20 करोड़ का जल प्रभार प्राप्त नहीं हुआ था। ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक अंशदान के कारण ₹ 69.36 करोड़ की कम वसूली/संग्रहण हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग तंत्र नहीं था। राज्य में संचरण के दौरान पानी की वास्तविक हानियों को जानने के लिए आपूर्ति बिंदुओं पर कोई प्रवाह मीटर/बल्क मीटर मौजूद नहीं था। चयनित जिलों में 23 स्थानों पर, जहां फ्लो मीटर का उपयोग कर जल आपूर्ति की मात्रा की जांच की गई, लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के संदर्भ में जल आपूर्ति मानकों से कम पाई गई। नमूना-जांच किए गए 604 मामलों में से 72 मामलों में सिंचाई विभाग द्वारा छोड़ा गया प्राकृतिक जल वास्तविक आवश्यकता से कम पाया गया। 604 मामलों में से 63 मामलों में भण्डारण एवं अवसादन टैंकों की भण्डारण क्षमता वास्तविक आवश्यकता से कम पाई गई। रेवाड़ी शहर के निवासियों को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के विरुद्ध, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण क्रमशः 111 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 86 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान कर रहे थे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों के नमूना-जांच किए गए मंडलों में बिना मीटर वाले कनेक्शनों और अवैध कनेक्शनों के दृष्टांत थे।

कुछ चयनित स्थानों पर कॉलीफॉर्म की उपस्थिति के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित पाई गई, भौतिक और रासायनिक मानदंड अनुमेय सीमा से परे पाए गए। राज्य, जिला एवं उप-मंडलीय प्रयोगशालाओं में मैनपावर की कमी थी। परिणामस्वरूप, चयनित जिलों की जिला/उप-मंडलीय प्रयोगशालाओं में पानी के नमूने के परीक्षण में कमी देखी गई। लेखापरीक्षा, परीक्षण के दौरान अनुपयुक्त पाए गए नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी क्योंकि इस प्रयोजन के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। समान पेयजल मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के विरुद्ध प्रयोगशालाओं (राज्य, जिला/उप-मंडल) की कार्यप्रणाली में कमियां देखी गई थीं। राज्य प्रयोगशाला में यूरैनियम संदूषण के परीक्षण के लिए कोई सुविधा नहीं थी।

फील्ड परीक्षण किटों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि न तो किटों की खरीद एवं वितरण से संबंधित अभिलेख रखा गया था और न ही फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके अयोग्य नमूनों को आगे की जांच के लिए पास की प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। भूजल आधारित योजनाओं को सतही जल आधारित योजनाओं में बदलने में देरी के मामले देखे गए थे जिससे इन बस्तियों में आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत वर्षा जल संचयन प्रणाली, जल पुनर्भरण प्रणाली जैसी सतत संरचनाओं के निर्माण के लिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान, नई चालू नहर आधारित योजनाओं और नए चालू नलकूपों

का घटता अनुपात भूजल पर निर्भरता कम करने के प्रयासों की कमी को दर्शाता है। यद्यपि मतभेदों/शिकायतों के समाधान के लिए विभागों (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्थानीय निकायों एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन शिकायतों के वर्गीकरण का आधार मौजूद नहीं था। परिणामस्वरूप, शिकायत निवारण की मॉनीटरिंग का अभाव रहता है।

विभाग को सामुदायिक भागीदारी के साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और जल संसाधनों का इष्टतम और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करती हैं। राज्य सरकार को जल आपूर्ति कनेक्शनों और प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति के कवरेज के संदर्भ में सुचारू जल आपूर्ति के लिए अगले दस वर्षों की अवधि के लिए एक विस्तृत क्षेत्र कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग/संबंधित संस्थाओं को बकाया जल प्रभारों की वसूली, सामुदायिक अंशदान की वसूली के प्रयास करने चाहिए। जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए आवधिक मूल्यांकन अर्ध-वार्षिक/वार्षिक रिटर्न तैयार करके किया जाना चाहिए। प्रभावी जल प्रबंधन के लिए मीटरिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि कीमती पानी के रिसाव/बर्बादी को रोका जा सके और बिना मीटर वाले और अवैध कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सके। वितरण के लिए कुल जल उपलब्धता का आकलन करने के लिए, विभाग को स्रोत/वाटर वर्क्स पर वास्तविक समय आधारित डेटा/आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित डेटा को कैप्चर करने का विकल्प तलाशना चाहिए ताकि किसी भी समय और किसी भी स्तर पर उचित निगरानी की जा सके। विभाग को प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और आवश्यकता के अनुसार मैनपावर को तैनात करके परीक्षण सुविधाओं में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। फील्ड-परीक्षण किट संदूषण की प्रारंभिक जांच के लिए एक महत्वपूर्ण पता लगाने वाला उपकरण है, विभाग को विवेकपूर्ण ढंग से और मौजूदा निर्देशों के अनुसार इसका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। यूरेनियम और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा समय पर और उचित उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के दूषित भूमिगत जल के संपर्क में आने की संभावना को रोका जा सके। विभाग को गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि निवासियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विभाग को परिकल्पना के अनुसार टिकाऊ संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए और अतिदोहित ब्लॉकों में भूजल पर निर्भरता कम करने के विकल्प तलाशने चाहिए। विभागों/संस्थाओं को निवासियों के लाभ के लिए समय पर निष्पादन और कार्यों/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उचित योजना सुनिश्चित करनी चाहिए। विभाग को अपने मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत करना चाहिए और प्रत्येक गतिविधि जैसे जागरूकता कार्यक्रम, शिकायतों, सर्वेक्षण रिपोर्टों, खरीद डेटा के लिए उचित प्रलेखन किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक स्तर पर उचित मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य स्तर पर डेटा प्राप्त करने के लिए एक कॉमन पोर्टल तैयार किया जाए।